रा.पु.मु.ज. / 5–99 / 70,000

# प्रथम सूचना रिपोर्ट

( अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता )

बुक नं.

1. जिला.चौकी भ्र0 नि0 ब्यूरो, धौलपुर.....थाना. प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ..2022.
   प्र. इ. रि. स. .....61/22..... दिनांक .....24/2/22.....
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 (संशोधित) अधिनियम **वर्ष** 2018 . धारायें.....7, 7 ए.....
   (ब) अधिनियम .....आई.पी.सी.....धारायें.....120 बी.....
   (स) अधिनियम .....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....520.....समय.....6:00 P.M.....
   (ब) अपराध घटने का दिन–दि.–बुधवार / 23.02.2022 / 01.21 पी.एम.....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक–10.02.2022 समय.–1.00 पी.एम. .....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :– पुलिस चौकी के सामने ओंडेला रोड धौलपुर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –उत्तर , दूरी करीब 03 किमी.....
   (ब) पता – .....बीट सख्या .....जरायमदेहीसं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना.....जिला.....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम **श्री कल्यान सिंह**
   (ब) पिता / पति का नाम श्री राजवीर सिंह जाति लोधा .....(स) जन्म तिथि / वर्ष 27 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
   (य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय..... ।
   (ल) पता....ग्राम –फूलपुरा तहसील व थाना सैंपऊ जिला धौलपुर।
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

**1–श्री विमल प्रताप सिंह पुत्र श्री गोपीचन्द जाति जाटव उम्र 32 साल निवासी सुन्दर कोलोनी पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल श्रम निरीक्षक श्रम विभाग धौलपुर।**

**2–श्री विजय कुमार पुत्र श्री राजू जाति जाटव उम्र 27 साल निवासी दरियापुर पुलिस थाना सदर धौलपुर जिला धौलपुर हाल संचालक विजय ई–मित्र धौलपुर।**

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   .....3,000 / –रू0 रिश्वत राशि .....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा / यू.डी. केस सख्या ( अगर हो तो ).....
    .....3,000 / –रू0 रिश्वत राशि .....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) .....नहीं.....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ( अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये ).....

सेवा में श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर। विषयः– रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरा नाम कल्यान सिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह उम्र 27 वर्ष जाति लोधा पोस्ट तसीमो तहसील सैंपउ जिला धौलपुर (राज.) का मूल निवासी हूं। महोदय मेरे छोटे भाई बहिन सूरज तथा जयश्री ने श्रम विभाग कार्यालय धौलपुर के लिये छात्रवृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया था जिसको श्रम विभाग कार्यालय में कार्यरत लेबर इंसपेक्टर विमल प्रताप द्वारा निरस्त कर दिया जब मैने उच्चाधिकारियें से बात कही तो उन्होने मेरे आवेदन को रिओपन कर दिया गया। अब मुझ प्रार्थी से आवेदनों को स्वीकार (पास) करने हेतु दलाल विजय द्वारा दो से तीन हजार रूपये की मांग की जा रही , मैं इनको रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। विमल प्रताप लेबर इंस्पेक्टर तथा दलाल विजय को रंगे हाथा पकडवाना चाहता हूं। मेरी इनसे कोई दुश्मनी या पुरानी रंजिश नहीं है। अतः आपसे निवेदन हैं कि इनके खिलाफ कार्यवाही करे। आपकी अति कृपा होगी। एस.डी. कल्यान सिंह, कल्यान सिंह पुत्र राजवीर सिंह जाति लोधा उम्र 27 वर्ष पोस्ट

तसीमो तहसील सैंपउ जिला धौलपुर राज.। मो.नं.–9636434092 एसडी दारासिंह दि. 23.02.22, एसडी दिनेश शर्मा दि. 23.02.22 एसडी सुमन म.कानि. कार्यवाहक मुख्य आरक्षक दि. 10.02.22, एस. डी. सुरेन्द्र सिंह पुलिस उप अधीक्षक दि. 10.02.2022

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 10.02.2022 को परिवादी श्री कल्यान सिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह जाति लोधा उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम फूलपुरा तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर में उपस्थित होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति व अंपने चचेरे भाई बहिनों के छात्रवृति हेतु किये गये गये आवेदन से सम्बन्धित ऑनलाईन आवेदन फाईल नं. B11/2018/0005933 मय छात्रवृति आवेदक जयश्री व सूरज के पिता दिनेश सिंह द्वारा रिश्वत मांग की कार्यवाही हेतु परिवादी कल्यान सिंह को नियुक्त करने के प्रार्थना पत्र सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर के नाम संबोधित की हुई श्रीमती सुमन ठाकुर कार्यवाहक मुख्य आरक्षक को पेश की है। चूँकि मन पुलिस उप अधीक्षक मुक.नं. 451/21 में श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर से अभियोजन स्वीकृति हेतु विचार विमर्श करने भरतपुर होने के कारण श्रीमती सुमन ठाकुर कार्यवाहक मुख्य आरक्षक द्वारा उपरोक्त लिखित रिपोर्ट बाबत जरिये दूरभाष मन पुलिस उप अधीक्षक को अवगत कराया तथा परिवादी से वार्ता कराई गई, जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को आरोपी के पास भेजकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के निर्देश कार्यवाहक मुख्य आरक्षक को दिये। इस पर श्रीमती सुमन ठाकुर कार्यवाहक मुंख्य आरक्षक परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत परिवादी श्री कल्यान सिंह से पूछताछ की गई तो परिवादी कल्यान सिंह ने रिपोर्ट स्वयं के द्वारा लिखी हुई होना बताया व अंकित तथ्य सही होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताते हुये मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मेरे चचेरे भाई बहिन की मैने स्कोलरशिप हेतु ऑनलाईन आवेदन करवाया था। मेरे चाचा इतने पढे लिखे नहीं हैं तो ऐसे कामों को परिवार में मैं ही करता हूं। स्कोलरशिप के आवेदन को श्रम विभाग के अधिकारी बार–बार रिजेक्ट कर देते हैं। मैने उनसे मिलकर मेरे चचेरे भाई सूरज तथा चचेरी बहिन जयश्री के आवेदन को रिओपन करवाया है व मैं श्रम निरीक्षक श्री विमल प्रताप जी से मिला तो उन्होने बिना कुछ बोले पर्ची पर लिखकर मुझसे कहा कि विजय ई–मित्र वाले से मिल लेना तेरा काम हो जायेगा। विमल प्रताप अभी मेरे से बातचीत नहीं करेगा, वह विजय ई–मित्र वाले के मार्फत ही मुझसे पैसे लेगा। मै उनको रिश्वत नहीं देना चाहता हूं बल्कि रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई पुरानी रंजिश व रूपये पैसे का कोई लेन–देन नहीं है। इस पर समय 01.30 पी.एम. पर कार्यालय आलमारी से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर निकालकर श्री ब्रह्मदेव सिंह कानि. नं. 449 को चालू तथा बन्द करने का तरीका बताकर गवाह मनोज कानि. व श्री योगेश कानि. के सामने जरिये फर्द सुपुर्द कर हिदायत की गई कि गांव दरियापुर के पास एन.एच. 3 पर स्थित आरोपी (दलाल) की दुकान के पास पहुंचकर परिवादी श्री कल्यान सिंह को चालू कर अपना परिचय बोलकर सुपुर्द करे एवं बाद सत्यापन विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय परिवादी के साथ कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर परिवादी श्री कल्यान सिंह को श्री ब्रह्मसिंह कानि. के हमराह परिवादी की मोटरसाईकिल से गांव दरियापुर के पास एन.एच. 3 पर स्थित आरोपी विजय ई–मित्र संचालक की दुकान के लिए रवाना किया गया। फर्द बाद हस्ताक्षर शामिल रनिंग नोट की गई। तत्पश्चात समय 03.20 पी.एम. पर श्री ब्रह्मदेव सिंह कानि. व परिवादी श्री कल्यान सिंह जरिये मोटरसाईकिल एसीबी कार्यालय धौलपुर में उपस्थित आये तथा परिवादी कल्यान सिंह ने श्रीमती सुमन ठाकुर कार्यवाहक मुख्य आरक्षक को बताया कि मैं व ब्रह्मदेव जी यहां से रवाना होकर गांव दरियापुर के पास एन.एच. 3 पर आरोपी ई–मित्र संचालक की दुकान के पास पहुंचे जहां पर मैने दलाल विजय से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो उसने मुझे दुकान के पास रोड पर ही मिलने की कहा। इस पर मैने ब्रह्मदेव जी को यह बात बताई तो ब्रह्मदेव जी ने वाईस रिकॉर्डर को चालू कर अपना परिचय बोलकर मुझे सम्भला दिया जिसे मैने अपने पास रखकर मोटरसाईकिल से दलाल के बताये अनुसार स्थान पर पहुंचा तो वह विजय ई–मित्र संचालक मुझे वहीं पर रोड पर मिल गया जिसने मेरे दोनो आवेदनों की स्कोलरशिप को विमल प्रताप श्रम निरीक्षक से पास करवाने के लिए प्रत्येक आवेदन के 1,500/–रूपये के हिसाब से 3,000/–रूपये मांगे व रिश्वत सम्बन्धी अन्य बातचीत भी हुई। बातचीत करने के बाद मैं वहां से रवाना हो पास में ही खडे श्री ब्रह्मदेव कानि. के पास पहुंचा जिन्होने मुझसे वाईस रिकॉर्डर लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। उसके बाद मैने इनको सारी बातें बता दी। फिर हम दोनो मेरी मोटरसाईकिल से रवाना होकर यहां वापस आ गये। परिवादी के कथनों की कानि0 ब्रह्मदेव सिंह ने ताईद की। इसके बाद परिवादी द्वारा बताई गई

बातो के संबंध में श्रीमती सुमन ठाकुर कार्यवाहक मुख्य आरक्षक द्वारा मुझे अवगत कराया तथा परिवादी से वार्ता कराई तथा मेरे निर्देशानुसार परिवादी के सामने कानि0 ब्रह्मदेव सिंह से सुपुर्द शुदा वाईस रिकार्डर जरिये फर्द वापस प्राप्त कर उसी हालत में परिवादी के सामने कार्यालय मालखाने में सुरक्षित रखा गया तथा परिवादी को कार्यालय में ही बिठाया गया। तत्पश्चात् समय 04.15 पी.एम पर मन पुलिस उप अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह मय श्री भोजराज सिंह कानि0 नं. 257, के जरिये सरकारी वाहन मय चालक के भरतपुर से उपस्थित चौकी धौलपुर आने पर श्रीमती सुमन ठाकुर म.कानि. 67 द्वारा परिवादी श्री कल्यान सिंह की लिखित रिपोर्ट तथा उसके साथ पेश कागजात, मय कार्यवाही पुलिस, फर्दात तथा विभागीय वाईस रिकार्डर (जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है) मय परिवादी कल्यान सिंह के अग्रिम कार्यवाही हेतु मुझे सुपुर्द किये जिस पर मैने परिवादी कल्यान सिंह की लिखित रिपोर्ट एवं अन्य कागजात, फर्दात आदि का अवलोकन किया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो परिवादी कल्यान सिंह ने रिपोर्ट स्वयं के द्वारा लिखी हुई होना बताया व अंकित तथ्य सही होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताते हुये मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मेरे चचेरे भाई बहिन की मैने स्कोलरशिप हेतु श्रम विभाग में ऑनलाईन आवेदन करवाया था। मेरे चाचा श्री दिनेश सिंह इतने पढे लिखे नहीं हैं तो ऐसे कामों को परिवार में मैं ही करता हूं। स्कोलरशिप के आवेदन को श्रम विभाग के अधिकारी बार–बार रिजेक्ट कर देते हैं। अभी मैने उनसे मिलकर मेरे चचेरे भाई सूरज तथा जयश्री के आवेदन को रिओपन करवाया है व मैं श्रम निरीक्षक श्री विमल प्रताप जी से मिला तो उन्होने बिना कुछ बोले पर्ची पर लिखकर मुझसे कहा कि विजय ई–मित्र वाले से मिल लेना तेरा काम हो जायेगा। विमल प्रताप अभी मेरे से बातचीत नहीं करेगा, वह विजय ई–मित्र वाले के मार्फत ही मेरे पेण्डिंग कार्य को करने की एवज में मुझसे रिश्वत की रकम तीन हजार रूपये लेगा। इन दोनो को पकडवाने के लिए मैने आज दिनांक 10.02.2022 को आपके कार्यालय में शिकायत दी थी व आपसे जरिये मोबाईल वार्ता की थी जिस पर मुझे एसीबी कार्यालय के एक कानि. श्री ब्रह्मदेव के साथ आरोपी दलाल विजय के पास भेजक़र रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन कराया था। मेरी बात आरोपी दलाल विजय से हो गई है जिसमें आरोपी ने मेरे दोनो आवेदनों की स्कोलरशिप विमल प्रताप श्रम निरीक्षक से पास करवाने के लिए प्रत्येक आवेदन के 1,500/–रूपये के हिसाब से 3,000/–रूपये मांगे हैं। इसके बाद वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी तथा श्री योगेश पटेल कानि. नं. 88 एवं श्री ब्रह्मदेव सिंह कानि. के सामने कम्प्यूटर की मदद से चालू कर टेबल स्पीकरों के सहयोग से सुना गया तो परिवादी के कथनों मुताबिक वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। तत्पश्चात समय 06.00 पी.एम. पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव करवाया गया व कम्प्यूटर से टेबल स्पीकर कनेक्ट करवाकर डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी व गवाहान की उपस्थिति में टेबल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ–पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द रूपान्तरण तैयार किया गया तथा उक्त वार्ता की चार डीबीडीयां क्रमश– मूल, मुलजिम प्रति दो एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर उन पर मार्क A अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मूल, व दो मुलजिम डीबीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर श्रीमती सुमन ठाकुर कार्यवाहक मुख्य आरक्षक मालखाना प्रभारी के सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया तथा आईओ प्रति डीवीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं अन्य कागजातों एवं बाद सत्यापन तैयार फर्द ट्रासक्रिप्ट वक्त रिश्वत मांग सत्यापन से श्री विमल प्रताप सिंह श्रम निरीक्षक धौलपुर एवं श्री विजय सिंह ई–मित्र संचालक (दलाल) के द्वारा परिवादी के चचेरे भाई बहिन की स्कोलरशिप को मंजूर करने की एवज में 3,000/–रूपये की रिश्वत की मांग करना पाया गया। तत्पश्चात समय 09.00 पी.एम. पर परिवादी श्री कल्यान सिंह व आरोपी विजय ई–मित्र संचालक के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से स्पष्ट हो चुका है कि आरोपी विजय ई मित्र संचालक द्वारा श्री विमल प्रताप श्रम निरीक्षक के लिये परिवादी के चचेरे भाई बहिनों की स्कोलरशिप को मंजूर करवाने के बाद रिश्वत राशि प्राप्त करेगा। अतः परिवादी कल्यान सिंह को हिदायत की गई आरोपी विजय सिंह जब भी उससे सम्पर्क करे तो वह मन उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करे व अब तक हुई कार्यवाही के सम्बन्ध में गोपनीयता बनाये रखे। बाद समझाईश परिवादी कल्यान सिंह को रूख्सत किया गया। इसके बाद दिनांक 11.02.2022 को समय 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री कल्यान सिंह उपस्थित कार्यालय आया जिसने बताया कि मेरी अभी दलाल विजय से मोबाईल पर बात हुई थी तो उसने बताया है कि वह अभी अपने किसी काम से बाहर गया हुआ है। आज वह नहीं मिल पायेगा। इस पर परिवादी कल्यान सिंह को हिदायत की गई आरोपी विजय जब भी उससे सम्पर्क करे तो वह मन उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करे व अब तक हुई कार्यवाही के सम्बन्ध में गोपनीयता बनाये रखे। बाद समझाईश परिवादी कल्यान सिंह को रूख्सत किया गया। चूंकि अभी

तक परिवादी से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने बावत कोई निश्चित समय नहीं मिला है। अतः कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने हेतु स्वतन्त्र गवाहान को अभी तलब नहीं किया जाकर रिश्वत राशि लिये जाने का समय एवं तारीख निश्चित होने पर नियमानुसार स्वतन्त्र गवाह बुलाये जाकर कार्यवाही की जावेगी। इसके बाद दिनांक 22.02.2022 को समय 12.30 पी.एम. पर परिवादी श्री कल्यान सिंह उपस्थित कार्यालय आया जिसने बताया कि विजय ई–मित्र वाले से मोबाईल पर मेरी अभी बात हुई है जो अभी श्रम विभाग की ऑफिस में है। अभी वह डायरेक्ट या मोबाईल के द्वारा मेरी बात श्री विमल प्रताप श्रम निरीक्षक से करवा सकता है। चूंकि पूर्व सत्यापन को काफी समय हो चुका है। अतः पुनः सत्यापन हेतु एवं विमल प्रताप श्रम निरीक्षक से वार्ता सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्यालय आलमारी से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर निकालकर श्री रवि कुमार मीणा कानि. नं. 352 एवं परिवादी श्री कल्यान सिंह को चालू तथा बन्द करने का तरीका बताकर परिवादी को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि विमल प्रताप से सीधी या मोबाईल पर वार्ता करने की कोशिश करे व बाद बातचीत विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर के साथ कार्यालय में उपस्थित होवे। परिवादी श्री कल्यान सिंह को श्री रवि कुमार मीणा कानि. नं. 352 के हमराह सरकारी मोटरसाईकिल से कार्यालय श्रम विभाग धौलपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 01.50 पी.एम. पर श्री रवि कुमार मीणा कानि. व परिवादी श्री कल्यान सिंह जरिये मोटरसाईकिल एसीबी कार्यालय धौलपुर में उपस्थित आये तथा श्री रवि कुमार मीणा कानि. ने वाईस रिकॉर्डर बन्द हालत में मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया जिसे सुरक्षित अवस्था में अपने पास रखा। तत्पश्चात परिवादी कल्यान सिंह ने बताया कि मैं व रवि जी यहां से रवाना होकर श्रम विभाग की ऑफिस धौलपुर के पास पहुंचे जहां पर रवि जी वहीं पास में ही रूक गये व मैं श्रम विभाग की ऑफिस के अन्दर चला गया। वाईस रिकॉर्डर को मैने जाने से पहले ही चालू कर मेरी जेब में रख लिया था वहां पर दलाल विजय मुझे मिला जिसने बताया कि तेरे दोनो आवेदनों की स्कोलरशिप को विमल प्रताप श्रम निरीक्षक से मैने पास करवा दिया है। अब मुझे विमल प्रताप को मुताबिक तय हुए रिश्वत राशि 3,000/–रूपये देने हैं। विमल प्रताप जी मुझसे 3,000/–रूपये मांग रहे हैं। इस पर मैने विजय ई–मित्र वाले से कहा कि मेरी बात विमल प्रताप श्रम निरीक्षक से करवा दे तो उसने कहा कि वो ऐसे किसी से बात नहीं करते हैं। फिर दलाल विजय सिंह ने वाट्सएप कॉल करके विमल प्रताप जी से बात की तो उन्होने कहा कि मैं कल मिलुंगा। इस पर दलाल विजय सिंह ने रिश्वत राशि 3,000/–रूपये कल दिनांक 23.02.2022 को देने की कहा है। बातचीत करने के बाद मैं वहां से रवाना हो पास में ही खडे श्री रवि कानि. के पास पहुंचा जिन्होने मुझसे वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। उसके बाद मैने इनको सारी बातें बता दी। फिर हम दोनो सरकारी मोटरसाईकिल से रवाना होकर यहां वापस आ गये। परिवादी के कथनों की कानि0 रवि कुमार मीणा ने ताईद की। तत्पश्चात समय 02.30 पी.एम. पर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के विभागीय कम्प्यूटर में कनेक्ट कर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता को कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव करवाया गया व कम्प्यूटर से टेबल स्पीकर कनेक्ट करवाकर डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी व गवाहान की उपस्थिति में टेबल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ–पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द रूपान्तरण तैयार किया गया तथा उक्त वार्ता की चार डीबीडीयां क्रमश– मूल, मुलजिम प्रति दो एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर उन पर मार्क B अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मूल, व दो मुलजिम डीबीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर श्रीमती सुमन ठाकुर कार्यवाहक मुख्य आरक्षक मालखाना प्रभारी के सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया तथा आईओ प्रति डीवीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। तत्पश्चात समय 05.00 पी.एम. पर परिवादी श्री कल्यान सिंह से आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि अभी मेरे पास रिश्वत राशि का इन्तजाम नहीं है। कल मैं रिश्वत राशि का इन्तजाम कर आ जाउंगा। अतः परिवादी को रिश्वत का इन्तजाम कर दिनांक 23.02.2022 को सुबह 09.00 बजे कार्यालय उपस्थित होने एवं गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूख्सत किया गया। इसके बाद दिनांक 23.02.2022 को समय 09.30 ए.एम. पर परिवादी श्री कल्यान सिंह उपस्थित कार्यालय हुआ जिसने बताया कि मैने रिश्वत में दी जाने वाली राशि 3,000/–रूपये का इन्तजाम कर लिया है जो अभी मेरे पास है। अतः परिवादी को हिदायत कर कार्यालय में ही बिठाया गया। तत्पश्चात समय 09.40 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलबी बाबत अधिशाषी अभियन्ता, जल एवं स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग धौलपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री योगेश सिंह कानि. 88 को स्वतन्त्र गवाह लेकर आने हेतु कार्यालय जलं एवं स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग धौलपुर रवाना किया गया व श्री रवि कुमार मीणा कानि. 352 को स्वतन्त्र गवाह लेकर आने हेतु कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर मय तहरीर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 10.00 ए.एम. पर

उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार ट्रेप कार्यवाही में इमदाद एवं आरोपी अधिकारी श्री विमल प्रताप श्रम निरीक्षक के आवास एवं अन्य ठिकानों की खाना तलाशी हेतु श्री महेश मीणा अति. पुलिस अधीक्षक, श्री श्रवण विश्नोई पुलिस निरीक्षक, श्री रीतराम सिंह हैड कानि., श्री हरभान सिंह कानि., श्री सुरेश कानि., श्री रितेश कानि., श्री विनोद कानि., श्री गोकुलेश कानि. मय सरकारी गाडियां मय चालक श्री विजय सिंह एवं श्री मनोज के उपस्थित कार्यालय आये। तत्पश्चात समय 10.15 ए.एम पर श्री योगेश सिंह कानि. 88 कार्यालय जल एवं स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग धौलपुर से दो गवाह साथ लेकर उपस्थित कार्यालय आया। दोनो गवाहान से उनके नाम पते पूछे तो उन्होने क्रमशः अपने नाम दीपक शर्मा पुत्र श्री अर्जुन सिंह जाति ब्राह्मण उम्र 37 साल निवासी घण्टाघर रोड, शक्तिनगर कोलोनी धौलपुर हाल कनिष्ठ सहायक , कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, वृत धौलपुर एवं दारासिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति बघेल उम्र 50 साल निवासी शिवनगर, आगरा केन्ट, पुलिस थाना शाहगंज आगरा (उ.प्र.) हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड धौलपुर होना बताये, जिनसे गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने बाबत सहमति चाही तो उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपनी सहमति दी, तत्पश्चात दोनो गवाहो का उपस्थित परिवादी कल्यान सिंह को बुलाकर आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया गया तथा दोनो गवाहों को परिवादी कल्यान सिंह द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 10.02.2022 एवं अन्य कागजातों को दिखाया जाकर पढवाया गया तथा परिवादी से वार्ता कराई गई तथा परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर दोनो गवाहों के हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित करवाये गये। तत्पश्चात समय 10.20 ए.एम. पर श्री रवि कुमार मीणा कानि. कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर से स्वतन्त्र गवाह श्री दिलीप कुमार वरिष्ठ सहायक एवं सुरेन्द्र सिंह कनिष्ठ लिपिक सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर को साथ लेकर उपस्थित कार्यालय आया। उक्त गवाहान को आरोपी विमल प्रताप श्रम निरीक्षक के निवास व अन्य ठिकानो की खाना तलाशी में साथ रहने हेतु श्री महेश मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्री श्रवण विश्नोई पुलिस निरीक्षक एसीबी भरतपुर के हमराह किया गया। तत्पश्चात समय 11.00 ए.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री दीपक शर्मा कनिष्ठ सहायक एवं श्री दारा सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सामने परिवादी श्री कल्यान सिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह जाति लोधा उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम फूलपुरा तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर ने आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वती राशि 500–500 रूपये के 06 (छह) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 3,000/–(तीन हजार) रूपये अपने पास से निकालकर मन पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

| क्रमसंख्या | नोटो का विवरण | नोटो के नम्बर |
|---|---|---|
| 1 | एकनोट 500 रूपये का | 5AD 107021 |
| 2 | एकनोट 500 रूपये का | 5AD 107022 |
| 3 | एकनोट 500 रूपये का | 5AD 107023 |
| 4 | एकनोट 500 रूपये का | 5AD 107024 |
| 5 | एकनोट 500 रूपये का | 5AD 107025 |
| 6 | एकनोट 500 रूपये का | 5AD 107026 |

उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल–बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो स्वतन्त्र गवाहान ने नोटों के नम्बरों का मिलान सहीं होना बताया। तत्पश्चात श्री योगेश सिंह कानि. नं. 88 से आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त 3,000/– (तीन हजार रूपये ) के नोटों पर श्री योगेश सिंह कानि. से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली–भांति लगवाया गया। परिवादी श्री कल्यान सिंह की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री दीपक शर्मा कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 3,000/–रूपये के नोटों को श्री योगेश पटेल कानि. से सीधे ही परिवादी द्वारा पहने हुए लोअर की बायीं तरफ की साईड की जेब में रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। इसके बाद गवाह श्री दीपक शर्मा कनिष्ठ सहायक से एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर

डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री योगेश कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन. पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी कल्यान सिंह को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री योगेश कानि. से आलमारी में रखवाया गया। श्री योगेश कानि. के दोनों हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। गिलास को कार्यालय में ही रखवाया गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत की गई। इस समस्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल फाईल की गई। तत्पश्चात समय 12.15 पी.एम. पर संदिग्ध आरोपी अधिकारी श्री विमल प्रताप श्रम निरीक्षक धौलपुर के बारे में गोपनीय रूप से मालूमात की गई तो मालूम हुआ कि उक्त आरोपी अधिकारी अभी तक कार्यालय में नहीं आया है। कहां पर है कोई निश्चित नहीं है। अतः ऐसी सूरत में इन्तजार किया जाकर संदिग्ध आरोपी अधिकारी की वर्तमान लोकेशन पता किया जाकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अतः समस्त ट्रेप टीम मय गवाहान व परिवादी के कार्यालय हाजा पर मुकीम रहा।. तत्पश्चात समय 12.50 पी.एम. पर संदिग्ध आरोपी अधिकारी श्री विमल प्रताप श्रम निरीक्षक धौलपुर के बारे में गोपनीय रूप से मालूमात की गई तो मालूम हुआ कि उक्त आरोपी अधिकारी अभी अपने निवास स्थान पर है जिसकी निगरानी हेतु पूर्व से जाप्ता तैनात किया हुआ है। तत्पश्चात समय 12.58 पी. एम. स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी कल्यान सिंह से उसके मोबाईल नं. 9636434092 से लाउड स्पीकर ऑन कराया जाकर कर विजय कुमार ई–मित्र संचालक के मोबाईल पर कॉल करवाया तो विजय कुमार ई–मित्र संचालक ने उसे रिश्वत राशि लेकर भद्रकाली मन्दिर व एल.आई.सी. ऑफिस के पास ओंडेला रोड पर बुला रहा है। उक्त वार्ता को विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड किया गया। अभी समयाभाव होने के कारण उक्त वार्ता की फर्द रूपान्तरण पृथक से तैयार की जावेगी। तत्पश्चात समय 01.04 पी.एम. पर समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ सावुन पानी से साफ कराने एवं परिवादी को रिश्वत स्वीकृति इशारे के बारे में अवगत कराने के बाद ब्रह्मदेव कानि. को मय परिवादी श्री कल्यान सिंह के सरकारी मोटरसाईकिल से आगे–आगे रवाना कर उनके पीछे श्री रवि कुमार मीणा कानि. व श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक को निजी मोटरसाईकिल के रवाना कर उनके पीछे–पीछे मन पुलिस उप अधीक्षक मय श्री भोजराज सिंह कानि. 257, दोनो स्वतन्त्र गवाहान के मय ट्रेप बॉक्स, विभागीय लेपटॉप मय प्रिन्टर के जरिये सरकारी वाहन मय चालक नरोत्तम के एसीबी कार्यालय धौलपुर से वास्ते ट्रेप कार्यवाही आरोपी विजय कुमार से वार्ता अनुसार एल.आई.सी. ऑफिस के पास ओंडेला रोड धौलपुर रवाना हुआ। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री योगेश सिंह कानि. 88 को बाद हिदायत एसीबी चौकी धौलपुर में छोडा गया। तत्पश्चात समय 01.12 पी.एम. पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा सरकारी वाहनों व प्राईवेट मोटरसाईकिल सहित ओंडेला रोड पर पुलिस चौकी के पास पहुंचा और वाहनों को पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर रोड की साईड में अन्य खडे हुए वाहनों के पास खडा करवाया गया तथा परिवादी कल्यान सिंह को आरोपी के बताये स्थान पर रवाना किया व उसके पीछे–पीछे श्री ब्रह्मदेव कानि., श्री रवि कुमार मीणा कानि. को रवाना कर मन पुलिस उप अधीक्षक मय शेष टीम व स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी के लोकेशन के आस–पास अपने आप को छुपाते हुए

खड़े होकर परिवादी के नियत इशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात समय 01.21 पी.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन उप अधीक्षक पुलिस सुरेन्द्र सिंह को परिवादी श्री कल्यान सिंह के नियत इशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के ओंडेला रोड पुलिस चौकी के सामने आम रोड पर पहुंचा जहां परिवादी कल्यान सिंह उपस्थित मिला जिससे पूर्व में सुपुर्दशुदा वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर सुरक्षित रखा। परिवादी श्री कल्यान सिंह ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यही विजय कुमार ई–मित्र संचालक है जो अपने साथी के साथ मोटरसाईकिल से मेरे पास आया और उसने मेरे से रिश्वत के 3,000/–रूपये लेकर अपने दोनो हाथों से गिनकर पहनी हुई शर्ट की उपर की दायीं तरफ की जेब में रख लिये हैं। इस पर पास खडे व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विजय कुमार पुत्र श्री राजू जाति जाटव उम्र 27 साल निवासी दरियापुर पुलिस थाना सदर धौलपुर जिला धौलपुर हाल संचालक विजय ई–मित्र होना बताया जिसे डिटेन किया जाकर यथास्थिति में रहने की हिदायत कर परिवादी से ली गई रिश्वती राशि 3,000/–रूपये के सम्बन्ध में पूछा तो उक्त विजय कुमार अपने दोनो हाथों को आपस में रगडने लगा इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार विजय कुमार का बायां हाथ श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 एवं दाहिना हाथ श्री रवि कुमार मीणा कानि. नं. 352 कलाईयों के उपर से पकड लिये। चूंकि उक्त स्थान पर काफी लोगों की भीड इकट्ठी हो चुकी है जिससे कार्यवाही में व्यवधान पडने की सम्भावना को देखते हुए विजय कुमार को दोनो हाथ पकडी हुई अवस्था में हमराह लेकर सामने स्थित पुलिस चौकी ओंडेला रोड धौलपुर पहुंचे जहां पर चौकी के कक्ष में बैठे हुए जाप्ते को गोपनीय कार्यवाही का हवाला देते हुए बाहर कर विजय कुमार से परिवादी श्री कल्यान सिंह से रिश्वत में 3,000/–रूपये प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा तो विजय कुमार ने बताया कि मैं विजय ई–मित्र कियोस्क का संचालन करता हूं। मेरी भद्रकाली माता के मन्दिर के पास ओंडेला रोड पर ई–मित्र की दुकान थी जिसको मैने दो–ढाई महीने पहले मेरे पापा की तबीयत खराब होने के कारण दुकान पर कम ही बैठता हूं और अब घर पर ही कार्य करता हूं। ई–मित्र पर श्रम विभाग से सम्बन्धित कार्य करवाने वाले व फॉर्म ऑनलाईन अपलोड करवाने वाले व्यक्ति मेरे पास आते रहते थे। मैं उनका कार्य श्रम विभाग में निरीक्षक श्री विमल प्रताप से मिलकर करवाता रहता हूं। उक्त कार्यों के बदले में प्रत्येक फाईल के रूपये रिश्वत के तौर पर लेकर कुछ में रख लेता हूं व बाकी विमल प्रताप को देता हूं। कल्यान सिंह करीबन 10–12 दिन पहले मेरे पास आया था। कल्यान सिंह ने मुझे बताया कि मेरे चाचा के लडके व लडकी का छात्रवृति से सम्बन्धित कार्य करवाना है, पहले श्रम विभाग द्वारा ऑनलाईन फॉर्मों को रिजेक्ट कर दिया है जिसको मैने रिओपन करवा लिया है। इस पर मैने उससे कहा कि मैं तुम्हारा काम श्रम निरीक्षक विमल प्रताप से मिलकर करवा दुंगा जिसके लिये उसे 1500/–रू. प्रत्येक फार्म के हिसाब से दो फॉर्मों के 3,000/–रूपये रिश्वत के देने पडेंगे। कल्यान सिंह की हां कहने के बाद मैने श्रम निरीक्षक विमल प्रताप से मिलकर एक पर्ची पर फाईल नम्बर व डिटेल लिखकर दी थी। दो दिन बाद वह काम हो गया था। आज मुझे मेरे द्वारा करवाये गये काम के बदले रिश्वत के 3,000/–रूपये कल्यान सिंह ने दिये हैं। 3,000/–रूपये अभी मेरी शर्ट की जेब में रखे हुए हैं। इस पर परिवादी श्री कल्यान सिंह से पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरे चचेरे भाई बहिन की छात्रवृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया था। छात्रवृतियों के आवेदन को श्रम विभाग के अधिकारी बार–बार रिजेक्ट कर देते थे। चचेरे भाई सूरज व चचेरी बहन जयश्री के आवेदन को रिओपन करवाया था जिसके सम्बन्ध में मैं श्रम निरीक्षक विमल प्रताप जी से मिला तो उन्होने बिना कुछ बोले पर्ची पर लिखकर मुझसे कहा कि विजय ई–मित्र वाले से मिल लेना तुम्हारा काम हो जायेगा। इसके बाद मैं दिनांक 10.02.2022 को विजय ई–मित्र संचालक श्री विजय कुमार से मिला तो इन्होने मुझसे विमल प्रताप श्रम निरीक्षक के लिए छात्रवृति का काम करवाने की एवज में 3,000/–रिश्वत के मांगे और दो दिन बाद हमारा काम हो गया था। कल दिनांक 22.02.2022 को भी विजय कुमार ई–मित्र संचालक ने मेरे से रिश्वत के 3,000/–रूपये देने की बात कही और मुझसे कहा कि 3,000/–रूपये दो, विमल सर मेरे से मांग रहे हैं। इसके बाद वाट्सएप पर विजय सिंह ने विमल प्रताप श्रम निरीक्षक से कॉल कर बातचीत भी की थी और आज 3,000/–रूपये रिश्वत की देकर जाने की कहा। इसके बाद आज इसने मेरे से तीन हजार रूपये

लेकर दोनो हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बायीं तरफ की जेब में रख लिये। तत्पश्चात आरोपी विजय कुमार से विमल प्रताप श्रम निरीक्षक के मोबाईल नम्बर के सम्बन्ध में पूछा तो विजय कुमार ने बताया कि मैने विमल सर का मोबाईल नं. राजू कोलोनी के नाम से सेव कर रखा है। विमल सर डायरेक्ट कॉल पर मेरे से बात नहीं करते हैं, वाट्सएप कॉल पर बात करते हैं, मेरे मोबाईल में नेट खत्म हो चुका है। इस पर विजय कुमार के मोबाईल को हॉटस्पॉट के जरिये वाईफाई से कनेक्ट कर समय 01.37 पी.एम. पर विजय कुमार के मोबाईल से विमल प्रताप सिंह श्रम निरीक्षक के मोबाईल पर वाट्सएप ऑडियो कॉल लाउडस्पीकर ऑन कर करवाया तो विमल प्रताप श्रम निरीक्षक ने विजय कुमार से घर पर आने की सहमति जाहिर की एवं विजय कुमार द्वारा पेमेन्ट की बात करने पर श्री विमल प्रताप श्रम निरीक्षक द्वारा मना नहीं किया जाकर चुप होना विमल प्रताप की स्पष्ट रूप से मूक सहमति जाहिर होती है, उक्त कॉल को विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया जिसका पूर्ण रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जावेगा। चूंकि विमल प्रताप द्वारा विजय कुमार को घर पर आने की सहमति जाहिर की है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु विजय कुमार ई–मित्र संचालक को दोनो हाथ पकडी हुई अवस्था में सरकारी वाहनों में परिवादी, जाप्ता एवं स्वतन्त्र गवाहान के हमराह पुलिस चौकी ओंडेला रोड से रवाना होकर समय 02.00 पी.एम. पर विमल प्रताप श्रम निरीक्षक के निवास वाली गली सुन्दर कोलोनी धौलपुर पहुंचे जहां वाहनों को साईड में खडा कर विजय कुमार को मुनासिब हिदायत कर विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को ऑन कर उसकी पहनी हुई पेन्ट की जेब में रख रवाना कर पीछे–पीछे ब्रह्मदेव कानि., रवि कुमार मीणा कानि. को रवाना कर मन उप अधीक्षक मय हमराहियान के अपनी पहचान छुपाते हुए विमल प्रताप के मकान के आस–पास खडे हो गये। डिटेनशुदा विजय कुमार ई–मित्र संचालक ने विमल प्रताप श्रम निरीक्षक के मकान के गेट को खटखटाया तो एक व्यक्ति बाहर आया और विजय कुमार को कमरे के अन्दर ले गया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के कमरे के अन्दर प्रवेश किया तो दोनो सोफे पर बैठे हुए हैं। इस पर विजय कुमार से पूर्व में दिया हुआ वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो किसी प्रकार की कोई वार्ता रिकॉर्ड होना नहीं पाई गई। विजय कुमार ने बताया कि हम दोनो पहले भी लेनदेन के समय कोई वार्ता नहीं करते थे। मैं चुपचाप रूपये देकर चला जाता था। आज मैं रूपये देने के समय आप लोगों की भनक लगने के कारण विमल प्रताप श्रम निरीक्षक ने रूपये नहीं दे पाया। विमल प्रताप श्रम निरीक्षक द्वारा विजय कुमार को अपने घर पर अन्दर बुलाकर बिठाना भी विमल प्रताप की संलिप्तता जाहिर करता है। इस पर सोफे पर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति से अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विमल प्रताप सिंह पुत्र श्री गोपीचन्द जाति जाटव उम्र 32 साल निवासी सुन्दर कोलोनी पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल श्रम निरीक्षक श्रम विभाग धौलपुर होना बताया जिससे विजय कुमार को अपने पास बुलाने के सम्बन्ध में पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप हो गया। इस पर विजय कुमार से पूछा गया तो विजय कुमार ने बताया कि मैने विमल सर से जयश्री व सूरज की छात्रवृति का काम करवाया था जिसके लिये 3,000/–रूपये रिश्वत विमल सर के कहने पर मैने कल्यान सिंह से लिये थे जिनको मैं विमल सर को रविवार के दिन देता। तत्पश्चात विमल प्रताप श्रम निरीक्षक से उसका मोबाईल लेकर वाट्सएप कॉल को चैक किया गया तो विजय कुमार का मोबाईल नं. विजय दरियापुर के नाम से एड है जिसकी वाट्सएप चैटिंग को देखा गया तो श्रम विभाग के कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की चैटिंग एवं कुछ कागजात होना पाये गये। इसके अलावा अन्य नम्बरों जो कि नानिक, दिनेश मीणा, 123, कमल कान्हा, रविन्द्र कुमार सरपंच सूरौठी, नवल किशोर, सुमित रावत, दामोदर कुशवाह रजोरा, सुनील कुमार, जीतू, के के सोनी न्यू, भरत किशन बाडी, भगवती, डोरीलाल राजपूत, जितेन्द्र पालीवाल, जालिम सिंह, रिंकू गोल्डन सुभाष 2, प्रताप कृष्ण, अनु केरोईन, निहाल सिंह, अतर सिंह, आशू खेडा, नरेन्द्र कोलोनी, हरिकेष, मुकेश निषाद, नेमी कुशवाह, लक्ष्मी नारायण, संजय दिवाकर, हनी परमार, दीपू ऑपरेटर 2, प्रदीप जी एल.डी.सी., राजवीर कोलोनी, भास्कर ई मित्र केन्द्र, प्रवीण भास्कर, आकाश पथरोला, देशराज, एच.एस., गोपाल स्टूडियो मनियां, 7023895890, कमल किशोर, अजय मनियां, अश्विनी, राजकुमार राजा का नगला के नाम से सेव हैं से भी विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित चैटिंग व रिकॉर्ड विमल प्रताप के मोबाईल फोन मे पाया गया है। श्री विजय कुमार

ई–मित्र संचालक एंव श्री विमल प्रताप श्रम निरीक्षक के मोबाईल में कार्यवाही से सम्बन्धित महत्वपूर्ण साक्ष्य होने से उक्त दोनो मोबाईलों को हमराह सुरक्षित रखा जिनसे रिकॉर्ड लिया जाकर जप्त किया जावेगा। अब तक की गई कार्यवाही से श्री विमल प्रताप सिंह श्रम निरीक्षक की रिश्वत राशि विजय कुमार द्वारा प्राप्त किये जाने में संलिप्तता एवं सहमति पाई गई है। अतः श्री विमल प्रताप सिंह श्रम निरीक्षक के आवास की खाना तलाशी हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार उपस्थित श्री श्रवण विश्नोई पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर को निर्देशित किया गया एवं कार्यालय श्रम विभाग धौलपुर मे स्थित श्री विमल प्रताप के कक्ष की निगरानी हेतु श्री गोकलेश कानि. एसीबी भरतपुर व श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक को मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक स्टील के कटोरे को निकलवाकर कमरे से बाहर रखी हुई पानी से भरी हुई प्लास्टिक की बाल्टी में से साफ पानी मंगवाकर स्टील के कटोरे को साफ पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर गवाह श्री दारासिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर स्टील के कटोरे के घोल में श्री विजय कुमार ई–मित्र संचालक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आर एच–1 व आर एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पुनः स्टील के कटोरे को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री विजय कुमार ई–मित्र संचालक के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच–1 व एल एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी विजय कुमार से रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो मेरी शर्ट की जेब में रखी हुई है। इस पर गवाह श्री दीपक शर्मा कनिष्ठ सहायक से आरोपी की पहनी हुई शर्ट की सामने की जेब से रिश्वत राशि को निकलवाकर गिनवाया तो भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 06 नोट कुल 3,000 रूपये रिश्वती राशि पाये गये जिनका गवाहान से पूर्व में कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी से उक्त नोटो का मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हुबहु होना पाये गये जिनका विवरण फर्द में अंकित करवाकर उक्त नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया एवं आरोपी विजय कुमार द्वारा पहनी हुई शर्ट जिसकी सामने की बायीं तरफ की जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई को उतरवाई जाकर अवलोकन किया गया तो शर्ट बरंग सफेद है जिसके कॉलर के नीचे JAI TAILOR SANTAR ROAD DHOLPUR का स्टीकर लगा हुआ है को ट्रेप बॉक्स में से स्टील का कटोरा निकलवा कर उसे साफ पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी डाल कर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर उसमें शर्ट की जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एसपी–1 व एसपी–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया व शर्ट की जेब को सुखवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शर्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "एसपी" अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी से पूर्व में सुपुर्दशुदा वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण तैयार किया जावेगा। विमल प्रताप श्रम निरीक्षक से परिवादी के चचेरे भाई बहिन की छात्रवृति के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली के बारे में पूछा तो बताया कि मेरे कार्यालय में पत्रावली रखी हुई है। चूंकि कार्यालय में परिवादी व अन्य लोगों के कार्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल सकते हैं। अतः श्री विमल प्रताप श्रम निरीक्षक के कार्यालय की तलाशी प्रथक से ली

जावेगी। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री विजय कुमार ई–मित्र संचालक द्वारा परिवादी के वैद्य कार्य को करवाने की एवज में श्री विमल प्रताप सिंह श्रम निरीक्षक, श्रम विभाग धौलपुर के लिए 3,000/–रूपये रिश्वत की मांग करना व मांग के अनुसरण में आज 3,000/–रूपये रिश्वत प्राप्त करना एवं विमल प्रताप द्वारा सहमति जाहिर करने का उक्त कृत्य धारा 7, 7 ए पीसी एक्ट (संशोधित) 2018 व धारा 120 बी भादस के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इस समस्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिव की जाकर नमूना सील फर्द पर अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात **04.15 पी.एम. पर** आरोपी विमल प्रताप सिंह श्रम निरीक्षक के कार्यालय की तलाशी हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस मय कानि. ब्रह्मदेव, श्री भोजराज कानि., श्री रवि कुमार मीणा कानि. मय स्वतन्त्र गवाहान मय आरोपी विमल प्रताप सिंह व विजय कुमार के मय सरकारी वाहन मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात के लेपटॉप मय प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि के आरोपी विमल प्रताप के मकान से श्रम विभाग के कार्यालय धौलपुर रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 04.30 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक मय हमराहियान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा कार्यालय श्रम विभाग धौलपुर पहुंचा जहां पर पूर्व में आरोपी के कक्ष की निगरानी हेतु भेजे गये श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री गोकुलेश कानि. उपस्थित मिले एवं श्रम विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित मिले। जहां पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री कल्यान सिंह के चचेरे भाई सूरज व बहिन जयश्री के छात्रवृति कार्य से सम्बन्धित रिकॉर्ड आरोपी श्री विमल प्रकाश श्रम निरीक्षक ने कार्यालय श्रम विभाग धौलपुर में अपने कार्यालय में कार्य करने की टेबल की दराज से निकालकर पेश किया एवं दराज का अवलोकन किया गया तो तीन कागज (पर्ची) लूज हालत में मिले जिनकी कार्यवाही हाजा में बतौर वजह सबूत आवश्यक होने से जरिये फर्द बतौर वजह सबूत जप्त किया गया। फर्द जप्ती पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 05.30 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमरीयान गवाहान, ट्रेप पार्टी के सदस्यों एवं डिटेनशुदा आरोपीगण श्री विमल प्रताप श्रम निरीक्षक व श्री विजय कुमार ई–मित्र संचालक के जरिये राजकीय वाहन से बाद ट्रेप कार्यवाही मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात के लेपटॉप मय प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि के कार्यालय श्रम विभाग धौलपुर से रवाना होकर समय 06.00 पी.एम. पर एसीबी कार्यालय धौलपुर आया। सील्डशुदा माल को श्रीमती सुमन ठाकुर महिला कानि. नं. 67 कार्यवाहक मुख्य आरक्षक के सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया। तत्पश्चात समय 06.15 पी.एम. पर डिटेनशुदा आरोपी विजय कुमार ई–मित्र संचालक व श्री विमल प्रताप श्रम निरीक्षक से आपस में रूबरू कराया जाकर पूछताछ की गई तो दोनो आरोपियों ने गलती होना स्वीकार किया व रिश्वत राशि लिये जाने की गलती हो जाना बताया। तत्पश्चात समय 06.30 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी विमल प्रताप सिंह को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पद व अधिकारों एवं समस्त कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाते हुए परिवादी कल्यान सिंह के वैद्य कार्य को करने की एवज में अपने लिये श्री विजय कुमार ई–मित्र संचालक के जरिये 3,000/–रूपये रिश्वत की मांग करना व मांग के अनुसरण में आज दिनांक 23.02.2022 को रिश्वत राशि 3,000/–रूपये विजय कुमार ई–मित्र संचालक द्वारा प्राप्त करना व रिश्वत प्राप्त कर विमल प्रताप श्रम निरीक्षक से वाट्सएप ऑडियो कॉल पर बातचीत करवाने पर विमल प्रताप द्वारा विजय कुमार ई–मित्र संचालक को घर पर बुलाना, विमल प्रताप द्वारा सहमति जाहिर करना एवं विमल प्रताप श्रम निरीक्षक की काम करने की टेबल की दराज से परिवादी के चचेरे भाई सूरज व बहिन जयश्री की छात्रवृति से सम्बन्धित रिकॉर्ड व विजय कुमार द्वारा दी हुई पर्ची मिलने का उक्त कृत्य धारा 7, 7 ए पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व धारा 120बी आई.पी.सी. का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा बाद जामा तलाशी गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 07.00 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री विजय कुमार हाल संचालक विजय ई–मित्र धौलपुर को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पद व अधिकारों एवं समस्त कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाते हुए परिवादी कल्यान सिंह के वैद्य कार्य को करवाने की एवज में श्री विमल प्रताप सिंह श्रम निरीक्षक, श्रम विभाग धौलपुर के लिए 3,000/–रूपये रिश्वत की मांग करना व मांग के अनुसरण में आज दिनांक 23.02.2022 को

3,000/–रूपये रिश्वत प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7, 7 ए पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व धारा 120बी आई.पी.सी. का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर बाद जामा तलाशी हस्व कायदा गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 10.00 पी.एम. पर आरोपी विजय कुमार ई–मित्र संचालक व आरोपी अधिकारी श्री विमल प्रताप श्रम निरीक्षक के मोबाईल में प्रकरण से सम्बन्धित चैटिंग व अन्य रिकॉर्ड वाट्सएप पर पाया गया है जिसके स्क्रीनशॉट व इमेज कॉपी का प्रिन्ट कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर प्रिन्टर से लिया जाकर जरिये फर्द जप्त किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। फर्द जप्ती पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 10.30 पी.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के सामने विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को कम्प्यूटर की मदद से चालू कर स्पीकरों से सुना गया तो उसमें वक्त रिश्वत लेन–देन से पूर्व मोबाईल पर परिवादी कल्यान सिंह एवं आरोपी विजय कुमार के मध्य हुई वार्ता व वक्त रिश्वत लेन देन परिवादी श्री कल्यान सिंह एवं आरोपी विजय कुमार ई–मित्र संचालक के मध्य हुई आमने सामने वार्ता एवं आरोपी विजय कुमार ई–मित्र संचालक व आरोपी विमल प्रताप सिंह श्रम निरीक्षक के मध्य मोबाईल से वाट्सएप ऑडियो कॉल पर हुई वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गईं जिन्हें कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव करवाया गया व कम्प्यूटर से टेबल स्पीकर कनेक्ट करवाकर डेस्कटॉप पर सेव उक्त वार्ताओं को परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में टेबल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ–पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द रूपान्तरण तैयार किया गया तथा उक्त वार्ताओं की चार डीबीडीयां क्रमश– मूल, मुलजिम प्रति दो एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर उन पर मार्क C अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मूल, व दो मुलजिम डीबीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर श्रीमती सुमन ठाकुर कार्यवाहक मुख्य आरक्षक के सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया तथा आईओ प्रति डीवीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। रात्रि का समय होने के कारण प्रकरण के घटनास्थल की नक्शा मौका से सम्बन्धित कार्यवाही सुबह स्वतन्त्र गवाहान के सामने दिनांक 24.02.2022 को की जावेगी। इसके बाद दिनांक 24.02.2022 को समय 12.25 ए.एम. पर गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण श्री विमल प्रताप सिंह श्रम निरीक्षक एवं श्री विजय कुमार ई मित्र संचालक को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर में बन्द हवालात करवाया गया। रात्रि का वक्त हाने के कारण प्रकरण के घटनास्थल की नक्शा मौका से सम्बन्धित कार्यवाही दिन में स्वतन्त्र गवाहान के सामने की जावेगी। तत्पश्चात समय 9.25 ए.एम. पर गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण श्री विमल प्रताप सिंह श्रम निरीक्षक एवं श्री विजय कुमार ई मित्र संचालक जिनको सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर में बन्द हवालात करवाया गयां था जिनको पुलिस थाना कोतवाली से प्राप्त करवाकर मेडिकल ज्यूरिष्ठ सामान्य चिकित्साल धौलपुर से स्वास्थ्य परीक्षण व कोरोना की जांच करवाने हेतु एक तहरीरी लिखकर श्री रवि कुमार कानि. व श्री योगेश कानि. व श्री ब्रह्मदेव कानि. को मय सरकारी वाहन मय चालक के कोतवाली धौलपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 09.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी कल्यान सिंह व स्वतन्त्र गवाहान श्री दीपक शर्मा व श्री दारा सिंह उपस्थित कार्यालय आये। तत्पश्चात समय 10.05 ए.एम. पर श्री रवि कुमार कानि. व श्री योगेश कानि. व श्री ब्रह्मदेव कानि. मय सरकारी वाहन मय चालक के उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा मय गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के बाद स्वास्थ्य परीक्षण वापस कार्यालय आये। दोनो आरोपीगण को कार्यालय में जाप्ता की निगरानी में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 10.05 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री विमल प्रताप श्रम निरीक्षक के मोबाईल वन प्लस कम्पनी एवं आरोपी विजय कुमार ई–मित्र संचालक के मोबाईल सेमसंग कम्पनी में प्रकरण से सम्बन्धित चैटिंग व अन्य रिकॉर्ड वाट्सएप पर पाया गया है जिनके स्क्रीनशॉट व इमेज कॉपी का प्रिन्ट कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर प्रिन्टर से लिये जाकर जरिये फर्द जप्त किया जाकर शामिल पत्रावली किये गये हैं। उक्त मोबाईलों में अन्य व्यक्तियों से भी श्रम विभाग से सम्बन्धित कार्य बावत फाईल नम्बर, अन्य दस्तावेज व चैटिंग पाई गई है। अतः उक्त मोबाईलो को स्विच ऑफ किया जाकर जरिये फर्द जब्त किया जाकर कब्जा एसीबी लिया जाकर कपडे की थैली में सील मोहर किया जाकर मार्क D दिया गया। फर्द जप्ती पृथक से तैयार की जाकर शामिल

पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 10.25 ए.एम. पर श्री श्रवण विश्नोई पुलिस निरीक्षक एसीबी भरतपुर ने बताया कि उनके द्वारा की गई खाना तलाशी की कार्यवाही के संबंध में आरोपी विमल प्रताप श्रम निरीक्षक के लॉकर से सम्बन्धित कार्यवाही बैक में जाकर की जानी है जिसमें आरोपी विमल प्रताप की आवश्यकता पडेगी। इस पर आरोपी विमल प्रताप को श्री श्रवण विश्नोई के हमराह रवाना किया था। तत्पश्चात समय 11.30 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान मय परिवादी कल्यान सिंह के मय सरकारी वाहन मय चालक के घटनास्थल के नक्शा मौका व हालात मौका की कार्यवाही हेतु कार्यालय से रवाना होकर घटनास्थल ओडेला रेाड पुलिस चौकी के सामने पहुंचा जहां पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान मय परिवादी कल्यान सिंह के मय सरकारी वाहन मय चालक के रिश्वत बरामदगी स्थल आरोपी विमल प्रताप श्रम निरीक्षक के सुन्दर कोलोनी स्थित मकान की नक्शा मौका की कार्यवाही हेतु रवाना होकर आरोपी विमल प्रताप के मकान के सामने पहुंचा जहां पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। बाद कार्यवाही मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के सुन्दर कोलोनी से रवाना होकर एसीबी कार्यालय धौलपुर पहुंचा। तत्पश्चात समय 12.50 पी.एम. पर श्री श्रवण विश्नोई पुलिस निरीक्षक एसीबी भरतपुर उपस्थित आये जिन्होने आरोपी श्री विमल प्रताप श्रम निरीक्षक को मन उप अधीक्षक पुलिस के सुपुर्द किया जिसे कार्यालय मे जाप्ता की निगरानी में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 01.00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने हेतु काम में ली गई पीतल की नमूना सील जिस पर एएसपी एसीबी धौलपुर (19) लिखा हुआ है को जरिये फर्द नष्ट किया गया। बाद कार्यवाही दोनो गवाहान एवं परिवादी को बाद हिदायत रूकसत किया।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से परिवादी कल्यान सिंह से उसके चचेरे भाई सूरज व चचेरी बहिन ज यश्री के छात्रवृति दिलाने के वैद्य कार्य को करने की एवज में आरोपी श्री विमल प्रताप सिंह पुत्र श्री गोपीचन्द जाति जाटव उम्र 32 साल निवासी सुन्दर कोलोनी पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल श्रम निरीक्षक श्रम विभाग धौलपुर द्वारा श्री विजय कुमार ई–मित्र संचालक के जरिये वैद्य पारिश्रमिक के अलावा 3,000/–रूपये रिश्वत की मांग करना व मांग के अनुसरण में दिनांक 23.02.2022 को रिश्वत राशि 3,000/–रूपये विजय कुमार ई–मित्र संचालक द्वारा प्राप्त करना व रिश्वत प्राप्त कर आरोपी विजय कुमार से आरोपी विमल प्रताप श्रम निरीक्षक से वाट्सएप ऑडियो कॉल पर बातचीत करवाने पर विमल प्रताप द्वारा विजय कुमार ई–मित्र संचालक को घर पर बुलाना, विजय कुमार द्वारा पेमेन्ट की बात कहने पर आरोपी विमल प्रताप द्वारा स्पष्ट मना नहीं करना एवं चुप हो जाना उसकी सहमति पूर्णरूप से जाहिर करता है एवं विजय कुमार के घर पर पहुंचने पर उसे घर के अन्दर बुलाकर बिठाना एवं विमल प्रताप श्रम निरीक्षक की काम करने की टेबल की दराज से परिवादी के चचेरे भाई सूरज व बहिन जयश्री की छात्रवृति से सम्बन्धित रिकॉर्ड व विजय कुमार द्वारा दी हुई पर्ची अन्य फाईलों की पर्चियां मिलना एवं आरोपी विजय कुमार व अन्य एवं विमल प्रताप के मध्य विभागीय कार्य को करने हेतु चैटिंग व इमेज प्राप्त होना व वाट्सएप का रिकॉर्ड प्राप्त होने का उक्त कृत्य धारा 7, 7 ए पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व धारा 120बी आई.पी.सी. का पाया जाने पर अभि युक्त श्री विमल प्रताप सिंह पुत्र श्री गोपीचन्द जाति जाटव उम्र 32 साल निवासी सुन्दर कोलोनी पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल श्रम निरीक्षक श्रम विभाग धौलपुर व श्री विजय कुमार पुत्र श्री राजू जाति जाटव उम्र 27 साल निवासी दरियापुर पुलिस थाना सदर धौलपुर जिला धौलपुर हाल संचालक विजय ई–मित्र धौलपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रेषित है।

(सुरेन्द्र सिंह)
पुलिस उप अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
धौलपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में वर्णित आरोपीगण 1.श्री विमल प्रताप सिंह, श्रम निरीक्षक, श्रम विभाग धौलपुर एवं 2.श्री विजय कुमार पुत्र श्री राजू, निवासी दरियापुर पुलिस थाना सदर धौलपुर, जिला धौलपुर हाल संचालक विजय ई-मित्र धौलपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 61/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

24.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 559-63 दिनांक 24.02.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक, भ्रटाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर।

24.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।